बुढमू में डायन बता कर महिला की हत्या का मामला

Ranchi Express 28/6/16

# न्यायामूर्ति डीएन पटेल ने लिया संज्ञान पुत्र को मिला 25 हजार का चेक

संवाददाता

रांची: बुढमू थाना क्षेत्र के इटेहे गांव में भूखली देवी(68वर्ष)की डायन-बिसाही का आरोप लगा कर निर्मम हत्या किये जाने का मामला समाचार पत्रों में सोमवार को प्रकाशित होने एवं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद भूखली के पुत्र गोविन्द उरांव को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से तदर्थ राहत के रूप में 25 हजार रुपये का चेक सौंपा गया।

गोविन्द उरांव को चेक सौंपते डीएलएसए सचिव राजेश कुमार सिंह एवं जेएम एसबी शर्मा।

## क्या है मामला

बुढमू थाना क्षेत्र के इटहे गांव में शनिवार देर शाम भूखली देवी नामक वृद्ध विधवा को डायन - बिसाही का आरोप लगा कर शनिवार देर शाम लाठी-डंडे एवं टांगी से मार कर ग्रामीणों ने निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने भूखली देवी के शव को उसके घर में रख दिया था। घटना के समय मृतक की 12 वर्षीय पोती नीतू कुमारी भी घर में थी। उसका पुत्र गोविन्द उरांव हजारीबाग में था। सूचना मिलने पर रविवार को हजारीबाग से इटहे अपने घर आया।

## अलग से दिये जायेंगे दो लाख रुपये

इस घटना का समाचार प्रमुखता से छपने के बाद सोमवार को प्रातः न्यायामूर्ति डीएन पटेल ने स्वतः संज्ञान लेकर जिला बिधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष को इस मामले की जांच कर त्वरित 25 हजार रुपये की तदर्थ राशि मृतक के आश्रित को देने का निर्देश दिया था। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने त्वरित घटना की जांच करा कर न्यायाधिक दंडाधिकारी एसबी शर्मा के साथ भूखली देवी के पुत्र गोविन्द उरांव को डीएलएसए कार्यालय में 25 हजार रुपये का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर डीएलएसए सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के अपराध में कड़ी सजा का प्रावधान हैं और इस मामले में भी घटना को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने बताया कि 25 हजार की तदर्थ राशि विधिक सेवा प्राधिकार के आवंटन से दिया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता मुआवजा एक्ट के तहत भूखली देवी के पुत्र को अलग से दो लाख रुपये की राशि दी जायेगी।

प्रभात खबर 28/6/16

# डायन हत्या मामले में पुत्र को मिला मुआवजा

25 हजार रुपये का चेक सौंपा गया.

संवाददाता ▸ रांची

बुढ़मू के इटेहे गांव में शनिवार की रात 65 वर्षीय वृद्ध महिला भुखली देवी को डायन बता कर गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी. मामले में प्रभात खबर में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीए पटेल ने मृतका के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने का निर्देश दिया. जिसके बाद सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सभागार में मृतका के पुत्र गोविंद उरांव को तत्काल राहत के तौर पर 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया. यह मुआवजा डालसा के सचिव राजेश कुमार सिंह और जेएम एसबी शर्मा ने प्रदान किया. मुआवजे की राशि डालसा के कोष से दी गयी.

डालसा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि डालसा डायन संबंधी मामलों में लगातार ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चला रहा है. इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलायी जायेगी. हमलोग समाज में स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि डायन के नाम पर हत्याएं बंद होनी चाहिए. मामले में जेएम एसबी शर्मा की अदालत में मृतका की पोती नीतू कुमारी का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया.

THE TELEGRAPH 28/6/16

The telegraph

# Jhalsa aid for 'witch' kin

RAJ KUMAR

**Ranchi, June 27:** The Ranchi District Legal Service Authority (DLSA) today handed over Rs 25,000 as compensation to the son of deceased Bhukhli Devi, who was branded a witch by a kangaroo court and lynched by a mob at a village on the outskirts of capital Ranchi on Saturday evening.

Jharkhand High Court judge-cum-executive chairman of Jharkhand Legal Service Authority (Jhalsa) D.N. Patel took serious note of the report, *'Witch' lynched near capital*, published in **The Telegraph** this morning, and promptly directed DLSA chairman Navneet Kumar to look into the matter.

Navneet, who is also the Principal Judicial Commissioner, then asked DLSA member secretary Rajesh Kumar Singh to probe the incident and get back to him at the earliest.

Following the order, Singh swung into action and enquired about the incident from various sources. After an hour or so, Singh called back Navneet and corroborated the brutal murder in what appeared to be one of the most horrific cases of witch-hunt in the state in recent times.

Navneet then asked Singh to send a proposal to the executive chairman of Jhalsa, requesting for compensation for the next of kin of the victim from the DLSA fund under the Victim Compensation Scheme, 2012.

The Jhalsa approved the proposal.

Immediately, Singh got in touch with Burmu police and called the victim's son, Govind Oraon (45), a Bhurkunda colliery worker, to the capital. Singh later handed over the cheque to Oraon on the civil court premises around 3pm.

"This is probably for the first time in the country when the state legal service authority could reach out to the victim or her family within a day after an untoward incident and pay compensation," Singh said.

He also congratulated **The Telegraph** for taking serious note of the issue and bringing the incident to light.

**DLSA member secretary Rajesh Kumar Singh hands over the cheque to Govind Oraon in Ranchi on Monday.** (Hardeep Singh)

Widow Bhukhli Devi (65) of Itehe village in Burmu police station area was brutally murdered, her face battered beyond recognition, in front of her granddaughter, whose name is being withheld on request, between 5pm and 6pm on Saturday, immediately after a local kangaroo court ordered her elimination.

Apparently, an *ojha* (quack) in Ranchi's Ratu area had told his clients in Itehe that an elderly woman with a son was responsible for the black magic that killed the ailing villagers. Believing him, these villagers zeroed in on Devi, whose son Govind Oraon works in Bhurkunda colliery in Ramgarh, held a meeting denouncing the woman, stormed her home with sticks and then killed her before her granddaughter.

A case of murder, wrongful confinement and conspiracy was filed against 12 named and a dozen unnamed people. However, police yet to arrest anyone in this case.

"The accused are absconding. We are trying to nab them as early as possible. Raids are on," said Ranchi rural SP Raj Kumar Lakra said.

THE PIONEER 28/6/16

The Pioneer

# 'Witchcraft' murder: DLSA gives ₹25K to victim's kin

**Witch-hunting took place on Saturday at Itehe village in Ranchi**

PNS ■ RANCHI

Acting swiftly over the incident of witch-hunting, that took place on Saturday at Itehe village under Budmu police station in Ranchi, District Legal Services Authority (DLSA) Secretary Rajesh Kumar Singh handed over a cheque of ₹25,000 to the deceased's son Govind Oraon as an interim compensation for immediate relief to the family.

Bhukhli Devi (65) was brutally thrashed to death in front of her granddaughter on Saturday, immediately after a local kangaroo court ordered her elimination.

"A cheque of ₹25,000 was handed over to the deceased son by DLSA on the directions of Justice DN Patel, Executive Chairman of Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA)" said the DLSA Secretary.

According to Singh, Justice Patel took cognisance of the media reports and immediately ordered an interim relief to the family.

"Rest of the amount under the provision will be given during the trial," Singh said. Judicial Magistrate SB Sharma and Officer in Charge of Budmu Police Station Rakesh Ranjan Singh were also present on the occasion.

Explaining the incident, Oraon said that one person after consuming excessive liquor got senseless following which his family members went to an 'Ojha' to know the reasons behind it. The quack told them that an elderly woman with a son was responsible for the black magic that killed the ailing villagers.

"The villagers without thinking about the consequences, zeroed in to my mother after holding a meeting, immediately denouncing her, stormed her with sticks and then killed her before my daughter, said Oraon. "Fraternal enmity among the family was the reasons behind the killing," Oraon added.

According to Budmu OC, FIR against 12 named accused and several other unknown persons have been lodged which include the names of co-villagers Krishna Gope, Mahadeo Oraon, Shivshankar Oraon, Sunil Oraon, Santu Lohra, Prem Oraon etc.



Member secretary of DLSA Rajesh Kumar Singh and Judicial Magistrate SB Sharma hand over compensation cheque to Govind Oraon, son of Bhukhli Devi at Civil Court in Ranchi on Monday Vinay Murmu I Pioneer

DANIK JAGRAN 28/6/16

Danik Jagran

# हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर भुखली के पुत्र को मिला मुआवजा

**कोर्ट की खबरें**

- हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान का नतीजा
- डायन बिसाही के नाम पर शनिवार को कर दी गई थी हत्या
- तत्काल अग्रिम मुआवजा, ट्रायल के दौरान मिलेगी और राशि

जागरण संवाददाता, रांची : झारखंड उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भुखली के पुत्र गोविंद को सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 25 हजार रुपये का चेक दिया गया। डायन बिसाही के नाम पर ठाकुरगांव के इटहे की 65 वर्षीय भुखली की शनिवार को हत्या कर दी गई थी। सोमवार को समाचार पत्रों में हत्या को लेकर खबर छपी। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार की सुबह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) को जांच का आदेश दिया था। साथ ही मृतका के परिवार को तत्काल तदर्थ मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। मध्यस्थता केंद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव राजेश कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी एसबी शर्मा ने बुढ़मू थाना प्रभारी राकेश रंजन के सहयोग से भुखली देवी के पुत्र को चेक सौंपा। डालसा ने बुढ़मू पुलिस के सहयोग से मामले की जांच की। मृतका की पोती नीतू कुमारी का बयान भी न्यायालय में दर्ज किया गया। वह अपनी दादी भुखली के साथ रहती थी। पूरे घटनाक्रम को देखा था। यह अग्रिम राशि डालसा के फंड से दी गई। ट्रायल के दौरान और राशि दी जायेगी। इस मामले में पांच नामजद सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सिविल कोर्ट में ठाकुर गांव में डायन बिसाही में महिला की हत्या के पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि सौंपते डालसा सचिव राजेश कुमार सिंह व अन्य।

### अपहरण के अभियुक्त को कोर्ट ने ठहराया दोषी

रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने युवती का अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अभियुक्त महिराम लोहरा को दोषी ठहराया है। अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि निर्धारित की है। अनगड़ा के सिमलिया गांव निवासी लोहरा के खिलाफ युवती के पिता रमेश साहू ने टाटीसिल्वे थाना में 23 जनवरी 2015 को कांड संख्या 6/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी बेटी 21 जनवरी 2015 को बीमेंस कॉलेज के लिए घर से निकली। घर वापस नहीं पहुंची। बाद में पता चला कि महिराम सहित उसके पांच अन्य साथियों ने उसे बहला-फुसलाकर वैगन आर गाड़ी से भगा ले गए हैं। अन्य आरोपियों में सुनील मुंडा, केशव महतो छोटू मुंडा, झरी करमाली व कलेश्वर वेदिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

# आरोपियों की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

- मामला सफायर इंटरनेशनल स्कूल में छात्र विनय महतो की हत्या का

जागरण संवाददाता, रांची : सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय कुमार महतो की हत्या के आरोपी स्कूल की तत्कालीन शिक्षिका नाजिया हुसैन व उसके पति आरिफ अली अंसारी की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। अपर न्यायायुक्त प्रथम योगेश्वर मणि की अदालत ने आरिफ की डिस्चार्ज पिटीशन व नाजिया की जमानत पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा। अदालत पांच जुलाई को फैसला सुनाएगी। नाजिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलीलें दी कि नाजिया के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। घटना से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कहा कि आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। केस डायरी व चार्जशीट में भी इसकी पुष्टि हुई है। वहीं आरिफ के डिस्चार्ज पर भी बहस हुई। बचाव के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि आरिफ पिछले चार माह से स्कूल में नहीं थे। उनके खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं है। टेलीफोन से भी बातें नहीं हुई है। इसलिए उन्हें आरोप से मुक्त किया जाए। इसपर भी अभियोजन ने विरोध करते हुए केस डायरी में लगे आरोप का हवाला दिया। अदालत ने दोनों की दलील सुनने के बाद याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

छात्र विनय कुमार महतो की हत्या चार फरवरी की रात स्कूल परिसर में कर दी गई थी। उसका शव पांच फरवरी की सुबह स्कूल परिसर से बरामद किया गया था। इस मामले में स्कूल की तत्कालीन शिक्षिका नाजिया व उसके पति आरिफ सहित उनके दो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। शिक्षिका व उसके पति बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। वहीं नाबालिग बेटा को बाल सुधार गृह डुमरदगा में रखा गया है। बेटी जमानत पर है।

### पीएलएफआइ के चार सदस्यों को मिली सजा

रांची : अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने पीएलएफआइ के चार सदस्यों को सोमवार को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त संतोष महतो, संजीत दास, प्रिया नायक उर्फ लक्ष्मी नायक व संजय बगोदर को 17 सीएलए एक्ट व आर्म्स एक्ट में 17 जून को दोषी ठहराते हुए फैसले की तिथि सोमवार को निर्धारित की थी। साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी तुलसी पाहन और राजेश नायक को बरी कर दिया था। अभियुक्तों के खिलाफ अनगड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह ने 9 दिसंबर 2013 को तुपुदाना कांड संख्या 76/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सभी पीएलएफआइ के सदस्य हैं और गोसाई टोला में संगठन विस्तार को लेकर बैठक कर रहे थे।